



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225228
CG-DL-E-17022021-225228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 677]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की घोषणा के लिए का.आ.संख्या 191 (अ), 27 जनवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होगी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।”;

(ii) पैरा 5 में, उप-पैरा (2) में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(iii) पैरा 5 में, उप-पैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2ए) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेशों होने तक किया जाएगा, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।”।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 191(अ), तारीख 27 जनवरी, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published *vide* S.O. number 191(E), dated the 27th January, 2010 for declaration of the Eco-Sensitive Zone of Sultanpur National Park, in the State of Haryana, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 3, for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) A Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone, shall be prepared by the State Government and approved by the Competent Authority in the State Government for its effective implementation.”;

(ii) In paragraph 5, in sub-paragraph (2), clause (b) shall be omitted;

(iii) in paragraph 5, after sub-paragraph (2), the following shall be inserted, namely :-

“(2A) The tenure of the Monitoring Committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.”.

[F. No. 30/1/2008-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist “G”

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 191(E), dated the 27th January, 2010.